सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

पीठासीन अधिकारियों तथा मतदान अधिकारियों के तृतीय प्रशिक्षण हेतु माड्यूल

विधानसभा चुनाव
2013

निर्वाचन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर

<u>प्रशिक्षण हेतु चर्चा योग्य बिन्दु</u>

1. मतदान केन्द्र पर जाएँ कैसे

- पीठासीन अधिकारी की जिस विधानसभा क्षेत्र के मतदान केन्द्र हेतु नियुक्ति हुई है वहाँ के लिये जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्धारित वाहन से ही अपने मतदान दन के साथियों के साथ मय मतदान सामग्री निर्धारित रूट से होते हुऐ रवाना होंगे।

- मतदान केन्द्र जाने हेतु यहाँ पर प्रभारी अधिकारी यातायात से लॉगबुक POL पर्ची तथा चैक पोस्ट स्लिप प्राप्त कर अपने वाहन को लेकर निर्धारित चैक पोस्ट पर स्लिप जमा कराते हुऐ आवंटित वाहन से अपने मतदान केन्द्र पहुचेंगे।

- चैक पोस्ट स्लिप पर गोलिंग पार्टी संख्या, वाहन संख्या, मतदान केन्द्र का नाम, विधानसभा क्षेत्र का नाम तथा पोलिंग पार्टी के सभी अधिकारी उसमें आ चुके है, संबंधित प्रविष्टी पर हस्ताक्षर कर वाहन प्रभारी पीठासीन अधिकारी को करके चैक पोस्ट पर देते हुए जाना है।

- मतदान केन्द्र पर निर्धारित रूट से ही जाना चाहिए जिससे जिला निर्वाचन अधिकारी आपकी लोकेशन के संबंध में सूचित रहे।

2. सामग्री प्राप्त करना

- प्रशिक्षण समाप्ती उपरान्त प्रभारी अधिकारी सामग्री से अपने मतदान केन्द्र की सील्ड व तैयार इ.वी.एम. तथा बैलेटिंग यूनिट मय दो केरिंग बॉक्सों व अन्य मतदान सामग्री प्राप्त करें।

- अपने दल के साथीयों की सहायता से पूर्ण जांच करें कि केरिंग बॉक्सों पर एड्रेस टेग पर मशीन के नम्बर वही हों जो मशीनों पर अंकित हो। प्रत्येक कंट्रोल यूनिट तथा बेलेटिंग का एक विशिष्ट नम्बर अंकित है जो मशीनों के पीछे मशीन निर्माता द्वारा अंकित करवाया गया है।

- निर्वाचक नामावली की तीन प्रतियां प्राप्त कर सुनिश्चित करें कि ये नामावलियाँ उसी मतदान केन्द्र की हों जिसके लिये आपकी नियुक्ति हुई हो तथा किन्हीं विशिष्ठ परिस्थितियों में चार प्रतियां भी होंगी।

- अन्य सामग्री में अमिट स्याही, लिफाफे, रस्सी, टेंडर वोट, प्रपत्र, पीठासीन अधिकारी की डायरी, डमी बैलेट शीट, ई.वी.एम. पहचान पर्चियाँ आदि। फिर भी यदि मतदान केन्द्र पर पहुंच कर आपको ज्ञात होता है कि अमुक सामग्री नहीं है तो आप उसी समय आपके सैक्टर मजिस्ट्रेट/रिर्टनिंग अधिकारी को सूचित करें ताकि नजदीकी रिजर्व सामग्री संग्रहण स्थल में आपको वांछित सामग्री आबंटित की जा सके।

3. मतदान केन्द्र पर पहुंच कर मतदान पूर्व की संध्या पर क्या करें

- सर्वप्रथम ड्राईवर को निर्देशित करें कि वह वाहन को छोड़कर ईधर–उधर नहीं जावें हर स्थिति में वह वाहन के पास ही रहेगा।
- सामग्री को सुरक्षापूर्वक अपनी निगरानी में रखें।
- मतदान केन्द्र को ध्यानपूर्वक परीक्षण करें तथा इसके 200 मीटर की परिधि का मुआयना करें।
- नियमानुसार इस परिधि में प्रचार सामग्री हटवाएँ।
- पीठासीन अधिकारियों के लिये निर्वाचन विभाग द्वारा जारी निर्देशिका को पुनः ध्यान से पढ़े।
- सामग्री को ठीक प्रकार से जांचे। ई.वी.एम. मशीनों की बैटरी व प्रयोग ठीक से पुनः जांचे।
- विश्राम की व्यवस्था में यदि थोड़ी असुविधा है तो राष्ट्रीय महत्व के कार्य में संयम व धैर्य से काम लें। आपका धैर्य ही इस चुनावी कार्य की सबसे बड़ी शक्ति है।
- स्थानीय निवासियों के साथ किसी भी चर्चा में भाग नहीं लेवें। आदरपूर्वक व विनम्रतापूर्वक किसी भी प्रकार का आथित्य अस्वीकारें। आपके ड्राईवर को भी यही समझाएँ।
- प्रत्येक प्रकार से आप निष्पक्ष रहे व इसका प्रदर्शन भी करें।

- अपने साथियों का मनोबल बढ़ाए तथा टीम भावना से कार्य करें।
- मतदान केन्द्र की तैयारी करें जैसे प्रारूप में नोटिस चस्पा, मतदाता प्रवेश व निकास की व्यवस्था, अपनी व साथियों के बैठने हेतु फर्नीचर की व्यवस्था परीक्षण, आदेश ले–आउट, निर्देशिका के पृष्ठ 139 पर अंकित है।

4. मतदान का दिन

- **<u>मतदान प्रारंभ करने से पूर्व</u>**
- मतदान केन्द्र पर कम से कम 75 मिनट पूर्व अपनी टीम के साथ मय सामग्री उपस्थित हो।
- वोटिंग मशीन की तैयारी करें
- मतदान अभिकर्त्ताओं की नियुक्ती करें।
- अनुपस्थित मतदान अधिकारी के स्थान पर तुरन्त स्थानीय मतदान अधिकारी नियुक्त करें।
- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 के तहत् गोपनीयता की घोषणा करें।
- कंट्रोल यूनिट व बैलेट यूनिट के क्रमांक वर्णित करते हुये पहचान पर्चियाँ अभिकर्ता को देवें।
- बनावटी मतदान करें। इस समय प्रत्येक प्रत्याशी को बराबर वोट डालकर निष्पक्षता दिखावें। फिर क्लीयर करें।
- कंट्रोल यूनिट के परिणाम भाग बंद कर ग्रीन पेपर सील करें तथा पेपर सील का लेखा प्रपत्र 17ग में करें।
- मतदान प्रारंभ घोषणा करें व अभिकर्त्ताओं के हस्ताक्षर करावें।

- बैच/परिचय पत्र धारण करे व करवाएँ।

5. मतदान प्रक्रिया प्रारंभ

- मतदाताओं को एक–एक करके आने देवें।

6. प्रथम मतदान अधिकारी

- निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का प्रभारी होगा।
- निर्वाचक की पहचान के लिये उत्तरदायी होगा।
- निर्वाचक पहचान का आधार (मतदाता परिचय पत्र तथा अन्य दस्तावेज) होंगे।

प्रथम मतदान अधिकारी यह ध्यान रखेगा कि :

- राजनीतिक दल के द्वारा जारी अशासकीय पर्ची पहचान आधार नहीं है।
- पहचान होने पर मतदाता नामावली क्रमांक पुकारना जिससे मतदान अधिकारी द्वितीय तथा मतदान अभिकर्ता सुन सके।
- प्रथम मतदान अधिकारी द्वारा पहचान सुस्थापित हो जाने के बाद मतदाता की पहचान को चुनौती नहीं दी जा सकती।
- प्रथम मतदान अधिकारी मतदाता की पहचान कर उसके नाम को रेखांकित करेगा।
- यदि स्त्री मतदाता है तो उसके नाम के दायीं ओर टिक मॉर्क भी करेगा।
- यदि प्रथम मतदान अधिकारी मतदाता की पहचान का पूरा समाधान नहीं कर पाता है तो उस मतदाता को पीठासीन अधिकारी के पास भेजेगें।
- पीठासीन अधिकारी ऐसे मतदाताओं की संक्षिप्त जांच करेंगें।
- अल्प आयु के मामले पीठासीन अधिकारी के द्वारा तय किये जायेगें।

- यदि मतदाता की पहचान को चुनौती देनी है तो इसी स्तर पर दी जानी चाहिये।

7. द्वितीय मतदान अधिकारी

- प्रारूप 17क मतदाता रजिस्टर व अमिट स्याही प्रभारी होगा।
- मतदाता रजिस्टर में मतदाता के हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी लेगा
- मतदाता की बांयी तर्जनी पर (Index Finger) पर अमिट स्याही लगाएगा।
- मतदाता स्लिप जारी करेगा।

8. रजिस्टर 17क में प्रविष्ठी

- इस रजिस्टर के प्रत्येक पृष्ठ में कॉलम–I में क्रम संख्या 1 से 20 तक होगें।
- कॉलम–II में निर्वाचन नामावली में उस मतदाता का क्रमांक।
- कॉलम–III में मतदाता का हस्ताक्षर या बांये हाथ का अंगूठा निशानी
- यदि कोई मतदाता हस्ताक्षर करने या अंगूठा निशानी से इन्कार करता है तो उसे मत डालने के लिये अनुमति नहीं दी जावेगी।
- यदि मतदाता हस्ताक्षर करने या बांये हाथ के अंगूठा निशानी में असमर्थ हो तो दाहिने हाथ का अंगूठा निशान लेना चाहिए (यदि अंगूठे दोनों हाथों में नहीं है तो तर्जनी से प्रारम्भ करते हुए किसी भी एक अंगुली का निशान रजिस्टर में लगाना चाहिए)
- यदि दोनों हाथ ही नहीं हो तो पैरों के अंगूठे का निशान लगवाना चाहिए।

- निःशक्त (दृष्टिहीन, विकलांग) यदि अंगूठा निशानी देने या हस्ताक्षर करने में असमर्थ हो तो उसके साथी (नियम 49ढ उपबंध 12 भरने के उपरान्त) के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी रजिस्टर में लिये जावेंगे।

9. मतदाता की बांयी तर्जनी पर अमिट स्याही लगाने हेतु ध्यान देने योग्य बिन्दु

- पहले तर्जनी निरीक्षण करना कि कहीं पूर्व में तो स्याही नहीं लगी। यदि है तो उसे मत देने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जावेगा।
- पहले से ही तर्जनी पर कोई तेलीय पदार्थ तो नहीं है यदि है तो कपड़े से पौंछे।
- बांये हाथ की तर्जनी की त्वचा तथा नाखुन की जड़ के बीच में अमिट स्याही लगावे।
- यदि बांये हाथ में तर्जनी नहीं हो, बांये हाथ की किसी भी अंगुली में अन्यथा अंगूठे में अमिट स्याही लगावे।
- पर्दानशीन महिला, महिलाओं के गरिमापूर्ण तरीके से अमिट स्याही लगावें।

10. मतदाता पर्ची जारी करना

- मतदाता रजिस्टर 17क में प्रविष्ठी करने व अमिट स्याही लगाने के उपरान्त मतदाता पर्ची जारी होगी।
- मतदाता पर्ची में मतदाता रजिस्टर कॉलम–I का क्रमांक कॉलम 2 में, निर्वाचक नामावली का क्रमांक तथा मतदान अधिकारी द्वितीय के लघु हस्ताक्षर होंगे।
- ये पर्चीयां आपको सामग्री की मदों में मुद्रित प्राप्त होगी

- मतदान अधिकारी द्वितीय द्वारा मतदाता को मतदाता पर्ची जारी होने के उपरान्त तृतीय मतदान अधिकारी या पीठासीन अधिकारी जो मतदान मशीन की नियन्त्रण यूनिट का प्रभारी हो के पास जाने के लिये निर्देशित किया जावेगा।

11. तृतीय मतदान अधिकारी

- मतों को रिकार्ड करना तथा मतदान प्रक्रिया
- मतो को रिकार्ड करने का दायित्व पीठासीन अधिकारी या तृतीय मतदान अधिकारी जो मतदान मशीन व नियंत्रण यूनिट का प्रभारी होगा, का होगा।
- मतदाता से पर्ची प्राप्त कर अपने पास सुरक्षित रखेगा।
- मतदाता को पर्ची की प्रथम प्रविष्ठी क्रम से ही मत डालने हेतु अनुज्ञात किया जावेगा।
- तृतीय मतदान अधिकारी या पीठासीन अधिकारी को द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा मतदाता को जारी पर्ची को उससे वापस लेना चाहिए, अमिट स्याही परीक्षण कर उसे मत डालने हेतु मतदान मशीन यूनिट के कक्ष में जाने हेतु अनुज्ञात करना चाहिए।
- निर्वाचक के मतदान कक्ष से वापिस आने पर निर्वाचक की बायीं तर्जनी पर अमिट स्याही के चिन्ह की जांच करेगा।

12. मतदान प्रक्रिया

- निर्वाचक/मतदाता मत रिकार्ड कर सके इस हेतु नियंत्रण यूनिट का बैलेट बटन पीठासीन अधिकारी द्वारा दबाया जावेगा, नियंत्रण यूनिट की ''बिजी लैम्प'' लाल हो जावेगा साथ ही मतदान कक्ष में मतदान यूनिट पर ''रैडी'' लैम्प हरा हो जावेगा।

- मतदान कक्ष में मतदाता अपनी पसन्द के अभ्यर्थी के नाम व प्रतीक चिन्ह के आगे ''केण्डीडेट'' नीले बटन को दबाकर मत रिकार्ड करेगा। जैसे ही मतदाता बटन दबायेगी, मतदान यूनिट पर उस अभ्यर्थी के नाम और प्रतीक के साथ उपलब्ध बत्ती कुछ समय के लिये (ऑन) लाल हो जावेगी और मतदान यूनिट पर हरी बत्ती बुझ जावेगी व नियंत्रण यूनिट से 'बीप' ध्वनि सुनायी देगी। कुछ ही क्षणों में मतदान यूनिट पर केण्डीडेट लैम्प में लाल बत्ती और नियंत्रण यूनिट लाल बत्ती भी बुझ जावेगी।
- ये श्रव्य व दृश्य संकेत इस बात का प्रतीक है कि मत रिकार्ड हो गया है और मतदाता को तुरन्त मतदाता कक्ष से बाहर आ जाना चाहिए, मतदान केन्द्र छोड़ना चाहिए।
- नियंत्रण यूनिट का बिजी लैम्प अब ऑफ हो जायेगा।
- यह प्रक्रिया मतदान समाप्ति तक दोहराई जायेगी।
- नियंत्रण यूनिट के पॉवर स्विच को मतदान के दौरान ऑफ नहीं करें।

13. पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान प्रक्रिया चलते समय ध्यान रखने योग्य सामान्य बिन्दु

- मतदान यूनिट कक्ष के बोर्ड पर विधानसभा चुनाव 2003 स्पष्ट लिखावें।
- मतदान केन्द्र में किसी भी सदस्य या मतदान अभिकर्ताओं को इधर–उधर घूमने न दिया जावे। वे केवल आवंटित स्थान पर ही बैठे।
- मतदान के पहले घण्टे में जब मतदान काफी तेज गति से होता है तो मतदान दल के सभी सदस्यों की कर्तव्यपालना सुनिश्चित करें।

- समय–समय पर कंट्रोल यूनिट जब **"BUSY"** नहीं हो तो **'TOTAL'** बटन से कुल मतों की संख्या चैक करें, ताकि मतदाता की कुल संख्या क्रमांक परीक्षण हो सके।
- प्रत्येक 2 घंटे में मतदान से संबंधित सूचना अपनी डायरी की मद संख्या–18 के संकलन के लिए इकट्ठा करना।
- मतदान केन्द्र पर अनुशासन बनाये रखना।
- समय पर कर्त्तव्यरूढ़ लोकसेवकों द्वारा मतदान संबंधी सूचनाएं मांगे जाने पर उपलब्ध करवाना।
- किसी भी समय उपद्रवी आचरण या उपद्रवी व्यक्तियों को यदि हटवाना पड़े तो पुलिस द्वारा आप उसे गिरफ्तार करवा उसे अभियोजित कर सकते हैं। (धारा 131 संलग्नक–7)
- धूम्रपान निषेध सुनिश्चित करावें।
- यह सुनिश्चित करें कि कोई भी मतदाता *'मतदाता रजिस्टर'* में हस्ताक्षर किये बिना मतदान नहीं करें और पूरे हस्ताक्षर करे या निरक्षर हो तो बांये अंगुठे की निशानी लगायें। जिन मतदाताओं ने हस्ताक्षर कर दिये हैं वे मतदान किये बिना बाहर नहीं चले जाए।

14. पोलिंग स्टेशन पर कौन आ सकते है

- मतदाता
- मतदान अधिकारी
- प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता और प्रत्येक अभ्यर्थी का एक मतदान अभिकर्ता

- आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति
- ड्यूटी पर लोक सेवक यथा मजिस्ट्रेट, आर.ओ., माइक्रो ओबजर्वर, बूथ मतदाता सहायक आदि।
- महिला मतदाता के साथ गोद का बच्चा
- दृष्टिहीन या निःशक्त मतदाता जो बिना सहायता के मत नहीं डाल सकता, के साथ सहायक
- अन्य व्यक्ति जो मतदाता की पहचान के लिये या अन्यथा मतदान के लिये पीठासीन अधिकारी अनुज्ञात करें।

15. मतदान समाप्ति पर

- कन्ट्रोल यूनिट का क्लोज का बटन दबाना व टोटल का बटन दबाएं, स्वीच ऑफ करना, केबल अलग करना।
- विहित घोषणा करना।
- मतदाता रजिस्टर में अंतिम प्रविष्ठि के बाद लाईन खींचकर प्रमाण पत्र अंकित करना एवं मतदान ऐजेन्टों के हस्ताक्षर भी कराना।
- कंट्रोल यूनिट तथा मतदान मशीन को गुलाबी ऐड्रेस टेग से सील कर पृथक् बॉकसों में सील करना।
- मतों का लेखा प्रारूप–प्रथम भाग 17ग व पेपर सील का लेखा पूर्ण करना।
- प्रारूप 17ग की अनुप्रमाणित प्रति मतदान अभिकर्ताओं को देना व उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं के प्राप्ती हस्ताक्षर लेना।

16. मतदान उपरान्त सामग्री पैक करना

- वोटिंग मशीनें

- पीठासीन अधिकारी द्वारा की गयी विभिन्न घोषणाएं
- पीठासीन अधिकारी की डायरी
- प्रारूप पी.ए. 05 का लिफाफा
- विजिट शीट का लिफाफा
- सांविधिक लिफाफे लिखा पैकेट जिसमें पांच पैकेट हो।
- असांविधिक लिफाफे लिखा पैकेट जिसमें ग्यारह लिफाफे हो।
- तृतीय पैकेट जिसमें मतदान समग्री की सात वस्तुएं हो।
- चौथा पैकेट जिसमें अन्य शेष सामग्री हो।
- तद्परान्त जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रदत्त निर्धारित वाहन में निर्धारित रूट से इ.वी.एम. मशीनें तथा अन्य सामग्री निर्धारित संग्रहण केन्द्रों पर निर्धारित काउन्टरों पर जमा करावें।
- जब तक पीठासीन अधिकारी की डायरी व अन्य सामग्री रिर्टनिंग अधिकारी द्वारा जमा नहीं कर ली जाये तब तक पीठासीन अधिकारी संग्रहण स्थल नहीं छोड़ेगा।

17. असामान्य परिस्थितियों में मतदान का स्थगन/रोका जाना

- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के धारा 57(1) के अनुसार निम्नलिखित कारणों से मतदान स्थगित करने का अधिकार है।
- बाढ़, तूफान या प्राकृतिक आपदा
- आवश्यक सामग्री जैसे मतदाता नामावली, वोटिंग मशीन आदि खो जाने पर
- मतदान केन्द्र पर शान्ती भंग होने पर

- अन्य ठोस कारण
- मतदान स्थगन की सूचना तत्काल रिर्टनिंग अधिकारी को देवें तथा मतदान केन्द्र पर औपचारिक घोषणा कर स्थगन सूचित करें कि मतदान उस दिन होगा जिसे बाद में निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित किया जावे।
- वोटिंग मशीनों को सील करें। समस्त निर्वाचन सामग्री को सील करें यानी जैसे कि सामान्य निर्वाचन हुआ हो।
- पीठासीन अधिकारी इस विशेषाधिकार का सोच समझकर पर्याप्त कारण से ही उपयोग करें।

18. मतदान के समय के दौरान

- मतदान के दौरान असाधारण प्रकृति के अनेक जटिल मामले उत्पन्न होने की संभावना रहती है। आप ऐसे मामलों को स्वयं निपटायें और मतदान अधिकारियों को अपना सामान्य कार्य करने दें। ऐसे मामले निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं जिनके संबंध में पीठासीन अधिकारियों के लिये निर्देशिका में विभिन्न अध्यायों में बताया गया है जैसे :–
- किसी मतदाता के बारे में चुनौती (चैलेंज) (अध्याय 15)
- अवयस्कों द्वारा मतदान (अध्याय 15)
- दृष्टिहीन या शिथिलांग मतदाताओं द्वारा मतदान (अध्याय 19)
- मत नहीं देने का विनिश्चय करने वाले मतदाता (अध्याय 20)
- निर्वाचन ड्यूटी प्रमाणपत्र के आधार पर मतदान (अध्याय 21)
- निविदत्त मत (अध्याय 23)
- मतदान की गोपनीयता भंग करना (अध्याय 18)

- बूथ पर उपद्रवी आचरण और उपद्रवी व्यक्तियों का वहां से हटाया जाना (अध्याय 14)
- बलवे या किसी अन्य कारण से मतदान का स्थगन (अध्याय 24)
- इसके अतिरिक्त निर्देशिका का परिशिष्ट 3 ध्यान से पढ़े।

  इसके उपरान्त प्रशिक्षु पोलिंग पार्टियों को प्रेरित करें कि अपनी जिज्ञासाओं तथा प्रश्नों का समाधान प्रशिक्षण स्थल पर ही कर लें।
- ई.वी.एम. के प्रयोग के संबंध में प्रशिक्षण स्थल पर ही ई.वी.एम. प्रशिक्षण की जरूरत हो तो वह भी जाने से पूर्व प्राप्त करें।
- यदि किसी भी प्रकार का संदेह हो तो जाने से पूर्व निवारण करें।
- यदि पोलिंग पार्टी का कोई सदस्य अनुपस्थित है तो तुरन्त टैण्ट प्रभारी को रिपोर्ट करें तथा रिजर्व पोलिंग पार्टी में अनुपस्थित सदस्य की पूर्ति करावें।
- रिजर्व पोलिंग पार्टी निर्देशों की प्राप्ति हेतु सजग रहें।

19. आदर्श आचार संहिता

- ***भारत निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता की पालना हेतु समय–समय पर कई आदेश/निर्देश/परिपत्र जारी किये है जो मुख्य–मुख्य निम्न प्रकार है:–***

  कोई भी राजकीय कर्मचारी किसी भी प्रकार के चुनाव प्रचार–प्रसार में भाग नहीं लेगें तथा यह ध्यान रखेगें कि उनके नाम व पद का उपयोग किसी व्यक्ति द्वारा उसके पक्ष में अथवा अन्य के विरूद्ध उपयोग में नहीं लिया जावेगा।

कोई भी राजकीय अधिकारी/कर्मचारी किसी भी अभ्यर्थी की ओर से निर्वाचन अभिकर्त्ता अथवा मतदान अभिकर्त्ता अथवा मतगणना अभिकर्त्ता नहीं बनेगा। यदि कोई सरकारी कर्मचारी ऐसा करता है तो यह कृत्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 क के अनुसार दण्डनीय अपराध होगा एवं ऐसे कर्मचारी को 3 माह तक का कारावास या जुर्माना या दोनों ही सजाएँ हो सकती है।

राजनैतिक गतिविधियों में भाग लेने के संबंध में केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के नियम 5 एवं राज्य कर्मचारियों के लिए राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के नियम 7 में स्पष्ट प्रावधान किया गया है। किसी भी राजकीय कर्मचारी द्वारा नियमों में वर्णित पाबंदियों के विपरीत आचरण होने पर उन्हें सेवा नियमों से भी दण्डित किया जा सकता है।

- *अन्त में उपस्थिती प्रपत्र तथा टी.ए. तथा डी.ए. प्रपत्रों की औपचारिकता करवालें व अन्त में प्रशिक्षण मतदान वालों को शुभकामनाएँ देकर रवाना करो।*

प्रयोजनार्थ	:	जिला निर्वाचन अधिकारी
प्रशिक्षण विषय	:	पीठासीन अधिकारियों व मतदान अधिकारियों का तृतीय प्रशिक्षण
उद्देश्य	:	पीठासीन अधिकारियों तथा मतदान अधिकारियों के प्रथम प्रशिक्षण तथा द्वितीय प्रशिक्षण की विषय सामग्री का दोहराव जिसमें पोलिंग पार्टी को मतदान करवाने में हर प्रकार की तकनीकी समझ रहे और वे विधिपूर्वक मतदान करवाने में सक्षम हो सके।
वांछित समय	:	60 मिनट
प्रशिक्षण विधि	:	प्रशिक्षक संलग्न सामग्री पर चर्चा करेगा 50 मिनट के उपरान्त 10 मिनट प्रश्नोत्तर के लिये खुला सत्र रखेगा तथा प्रशिक्षुकों की समस्त जिज्ञासाओं का उत्तर देगा।
वांछित सामग्री	:	माईक व कार्ड लैस माईक
प्रशिक्षकों हेतु आवश्यक	:	मतदान प्रक्रिया का पूर्ण ज्ञान
ट्रेनर किट	:	1. निर्वाचन आयोग भारत सरकार द्वारा जारी पीठासीन अधिकारियों हेतु निर्देशिका

2. एक प्रशिक्षण सी.डी.

PO Trg.-I PP	मतदान प्रक्रिया
PO Trg.-I EVM	ई.वी.ए.म जानकारी व निर्वाचन संचालन
PO Trg.-I PO DO's & Don't	क्या करें व क्या न करें

3. प्रशिक्षण माड्यूल तथा उपरोक्त तीनों पॉवर पोईन्ट की फोटो प्रतियाँ (प्रिन्ट आउट)

4. डायरी व पैन

डॉ. आभा जैन
आर.ए.एस.